योगी ने कहा- मंत्री पुत्र के खिलाफ़ कोई साक्ष्य नहीं, कोर्ट ने कहा- एक्शन से संतुष्ट नहीं, मंत्री पुत्र ने कहा-आज बीमार हूं कल आऊंगा

सुशील मानव

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री-पुत्र के शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर किसान जनसंहार को लेकर पहली बार सार्वजनिक तौर पर मुंह खोला और मंत्री पुत्र को क्लीन चिट दे दिया। एक टीवी के कार्यक्रम में लखीमपुर की घटना पर बोलते हुये आदित्यनाथ ने कहा कि मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र का अभी तक हाथ होने का कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है।

वहीं विपक्षी नेताओं द्वारा लखीमपुर पीड़ितों से मिलने जाने से ख़ौफ़जदा योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि 卐मैं प्रियंका, राहुल और अखिलेश से पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में ये सभी लोग कहां थे? प्रियंका ने गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाया, शायद जनता की मंशा भी यही है।

सुप्रीमकोर्ट ने कहा- कार्रवाई से संतुष्ट नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी जनसंहार कांड में कोई भी कार्रवाई न करने पर यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि मामला जब 302 का है तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? आज कोर्ट में यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आशीष मिश्रा कल 11 बजे तक पेश हो जाएगा। हरीश साल्वे के इस दिलासे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है।

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्य तौर पर क्या करती है? सीधा गिरफ्तार ही करते हैं ना! अभियुक्त जो भी हो क़ानून को अपना काम करना चाहिए।

कोर्ट के सख्त रवैये पर सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। हालांकि घटनास्थल से दो खाली कारतूस मिले थे। अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया है वो आज आने वाला था। लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उसे कल शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है।

सीजेआई ने पूछा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन द्वारा इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों किया जा रहा है? कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश देते हुये कहा है कि "जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है, तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रहें।"

इससे पहले यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि वकील हरीश साल्वे हमारी तरफ से जिरह करेंगे। वहीं अब लखीमपुर मामले पर अगली सुनवाई दशहरे की छुट्टियों के बाद होगी।

मंत्री-पुत्र ने कहा आज बीमार हूँ, कल आऊंगा

लखीमपुर खीरी तिकोनिया किसान जनसंहार का मुख्य आरोपी और केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने पुलिस को पत्र भेजकर कहा है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए वह आज पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकता। वह शनिवार को 11 बजे पुलिस के सामने पेश होगा।

गौरतलब है कि 7 अक्टूबर गुरुवार को पुलिस ने मंत्री के घर के बाहर नोटिस चस्पा करके शुक्रवार सुबह 10 बजे आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच में पूछताछ के लिये बुलाया था। इसके बाद आज फिर मंत्री के घर के बाहर पुलिस ने दूसरा नोटिस लगाया है। दूसरे नोटिस में आशीष को 9 अक्टूबर शनिवार की सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

आशीष मिश्रा के नेपाल भागने की आशंका

सोशल मीडिया पर ऽनेपालभाग हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि आशीष मिश्रा अपने दोस्त अंकित दास के साथ नेपाल फरार हो चुका है। अंकित दास पूर्व कांग्रेसी नेता अखिलेश दास का भतीजा है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। पुलिस की जांच में पहली लोकेशन नेपाल थी, जबकि आज सुबह की लोकेशन उत्तराखंड के बाजपुरा की बताई जा रही है।

उसके फरार होने की आशंका के बीच लखीमपुर खीरी पुलिस ने नेपाल और उत्तराखंड पुलिस दोनों से संपर्क किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के एक रिश्तेदार अभिजात मिश्रा ने दावा किया है कि आशीष मिश्रा जांच में पूरा सहयोग करेगा। वह वकील के साथ पुलिस के सामने पेश होगा। वो कहीं भागा नहीं है।

सरकार के बच्चों के लिये अलग क़ानून है

अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर के साथ पांच सदस्यीय दल लखीमपुर के लिये रवाना हुआ है। अकाली सांसद हरसिमरत कौर ने मामले में कोई कार्रवाई न होने पर गंभीर सवाल खड़े करते हुये कहा है कि "सरकार के बच्चों के लिए अलग कानून है और गरीब किसान के लिए अलग। इसलिए पांच दिन से कोई गिरफ्तार नहीं हुई"।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बहराइच जा रहे हैं। वे दो मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। जबकि कल गुरुवार को वे लखीमपुर खीरी गये थे। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह आज बहराइच पहुंचे। उन्होंने पीड़ित 2 किसान परिवारों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी बात कराई। केजरीवाल ने कहा कि अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये गलत है। पूरा देश देख रहा है। लोगों में बहुत गुस्सा है।

आपराधिक छवि के नेताओं से मुक्त हो गृहमंत्रालय

विजय शंकर सिंह

देश के गृह मंत्रालय का नेतृत्व जिन नेताओं के पास है, वे हत्या और हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं के मुल्जिम भी हैं। खुद गृहमंत्री अमित शाह भी, एक समय अदालत के आदेश से, अवांछित और त?ीपार किये जा चुके हैं, और उनके ऊपर अब भी पूर्व सीबीआई जज ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोया की संदिग्ध मृत्यु के संबंध में संदेह उठ खड़ा हुआ है।

जज लोया का मुकदमा, शायद देश के न्यायिक और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का अकेला मुकदमा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी एफआईआर और पुलिस तफ्तीश के ही, एक सामान्य मौत का मामला मान लिया। सुप्रीम कोर्ट का इसे सामान्य मौत मान लेने का आधार भी बड़ा अजीबोगरीब है। अदालत के अनुसार, लोया के साथ कुछ साथी जज भी थे। उन्होंने लोया की मृत्यु को संदिग्ध नहीं कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "जज झूठ बोल नहीं सकते अत: उनके बयानों पर शक करने का कोई आधार नहीं है।"भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की यह एक दुर्लभ व्याख्या है!

जज बीएच लोया की संदिग्ध मौत की एफआईआर दर्ज न हो और न ही उसकी जांच हो, सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किये जाने का यह एक अनोखा मामला भी है। इस केस की तग?ी पैरवी भी हुयी। जज लोया के बेटे से टीवी चैनल पर यह कहलवाया भी गया कि 'उसके पिता की मृत्यु स्वाभाविक है।' जब किसी संदिग्ध मृत्यु के मामले में एफआईआर तक दर्ज न होने और उसकी जांच न होने के लिये सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा दी जाय और ऐसे केस की जमकर पैरवी की जाय तो ऐसे मामले में , संदेह और गहराता है, खत्म नहीं होता है।

अदालतों में किसी संदिग्ध अपराध के बारे में एफआईआर दर्ज कराने और उसकी जांच कराने के लिये याचिकाएं तो अक्सर दायर होती रहती हैं, पर न एफआईआर दर्ज हो न पुलिस तफ्तीश, इसके लिये अब तक दो ही याचिकाएं, मेरी जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी हैं, एक तो जज लोया का मामला, दूसरा राफेल सौदा ! यह 2014 के बाद का न्यू इंडिया है। अब अगर पुलिस थाने मु?दमे दर्ज करने में हीलाहवाली करें तो हम सिर्फ उन्हें ही दोष क्यों दे ?

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी कहते हैं कि, 'विधायक, सांसद, मंत्री बनने के पहले मैं क्या था, मालूम है ना?' यह बात वे अकेले में नहीं कह रहे थे, बल्कि धमकी भरे अंदा? में एक सभा में कह रहे थे। यह कहते हुए, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चल भी रहा है। पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की भी बात कर लें, तो यह भी जान लीजिए कि, गृहमंत्री बनने के पहले वे क्या थे या उन पर क्या आरोप लगे थे?

- गृहमंत्री अमित शाह को मार्च 2011 में सीबीआई ने ही, सुप्रीम कोर्ट में "हफ्ता लेने वाले गैंग का नेता" कहा था। सीबीआई ने क्या कहा था, यह गूगल पर मौजूद है।

- जो अदालत में सीबीआई ने कहा है, वह इस प्रकार है, "शाह का गैंग नेताओं, पुलिस और क्रिमिनल का गठजोड़ है। शाह गुजरात में राजनीति, पुलिस और अपराधी के गठजोड़ से जबरन वसूली और धमकी देने का रैकेट चलाते हैं।"

- हालांकि सीबीआई का यह ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जज पी सदाशिवम की बेंच ने खारिज कर दिया था।

- पी सदाशिवम वही जज हैं जो बाद में केरल के राज्यपाल बने। इनकी नियुक्ति पर विवाद भी हुआ था।

- जिस मामले में सीबीआई का यह ऑब्जर्वेशन था उसी केस की सुनवाई, मुंबई स्पेशल सीबीआई जज ब्रिजगोपाल लोया कर रहे थे और फैसले के पहले ही नागपुर के एक गेस्ट हाउस में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी। जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

यह तो हुयी, गृह मंत्रालय में, कैबिनेट मंत्री की बात। अब राज्यमंत्री महोदयों को देखें तो दो गृह राज्यमंत्री, निशीथ प्रमाणिक और अजय मिश्र टेनी दोनों ही हत्या के अपराध में आरोपी हैं, और जमानत पर हैं।

गृह राज्यमंत्री, निशीथ प्रमाणिक के ही चुनावी हलफनामे के अनुसार, उन पर हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, लूट, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ सहित कई अन्य गैर जमानती मामले दर्ज हैं। कुछ मुकदमे अदालत में चल रहे हैं। इनकी नागरिकता भी संदिग्ध है और डिग्री भी फर्जी बताई जा रही है। पर सरकार में बैठे मंत्रियों की फर्जी डिग्रियों की जांच कराए जाने की परम्परा फिलहाल स्थगित है। यह सारी सूचना एडीआर की वेबसाइट पर है। जिसके अनुसार, 'गृह राज्य मंत्री बने कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र के सांसद, निशीथ प्रमाणिक ने अपने खिलाफ हत्या से जुड़े एक मामले की घोषणा की है। वह 35 वर्ष के मंत्री परिषद के सबसे युवा चेहरे भी हैं।'

अब दूसरे गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी की पृष्ठभूमि देखिए। उन्हें भी अपने इसी पृष्ठभूमि पर गर्व है। वे कहते भी हैं, मंत्री बनने के पहले वे क्या थे, उसे सब जान लें।

- अजय मिश्रा पर हत्या, मारपीट, धमकी देने जैसी तमाम घटनाओं में 4 मुकदमे चल रहे हैं।

- दो मुकदमों में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भी नामजद रहा है।

- 5 अगस्त 1990 को तिकुनिया थाने में अजय मिश्रा के साथ 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर हथियारों से लैस होकर मारपीट का आरोप लगा था।

- 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता की हत्या में अजय मिश्रा समेत चार लोग नामजद किए गए थे।

- 31 अगस्त 2005 को ग्राम प्रधान ने अजय मिश्रा समेत चार लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और दंगा फसाद का मुकदमा दर्ज कराया था।

- 24 नवंबर 2007 को अजय मिश्रा समेत तीन लोगों पर घर में घुसकर मारपीट का चौथा मुकदमा दर्ज हुआ।

- अजय मिश्रा पर 2005 और 2007 के मारपीट के मुकदमों में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भी नामजद था।

अजय मिश्रा पर दर्ज चार गंभीर मुकदमों में सबसे गंभीर मामला प्रभात गुप्ता मर्डर केस का था। हत्या के इस मुकदमे में 29 जून 2004 को अदालत में सुनवाई करने वाले जज ने अजय मिश्रा को हत्या के मुकदमे में बरी किया और 30 जून को जज साहब रिटायर हो गये। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील दायर की गयी है और वर्तमान में अजय मिश्र हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। 12 मार्च 2018 से हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर रखा है। बीते 3 सालों से फैसला सुरक्षित रखने पर हाई कोर्ट डबल बेंच में अपील दायर की है जिस पर अक्टूबर महीने में सुनवाई होनी है।

चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले समूह एडीआर की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 42 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। इनमें से चार पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले भी हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मंत्रियों के किए गए विश्लेषण में 42 प्रतिशत (33) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने का उल्लेख किया है। करीब 24 यानी 31 प्रतिशत मंत्रियों ने हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती आदि समेत गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है।चार मंत्रियों ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों की घोषणा की है। ये मंत्री हैं जॉन बारला, प्रमाणिक, पंकज चौधरी और वी मुरलीधरन।

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में चुने गए सांसदों में 42त्न सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। ऐसे लोग विधायिकाओं में न पहुंचे, इसके लिये चुनाव सुधार जरूरी है, पर ऐसे लोग मंत्री न बनाये जाएं यह तो प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं?

अगर यह सब भी कतिपय राजनीतिक कारणों और विवशता से सम्भव न हो, कम से कम गृह मंत्रालय को तो दागी नेताओं से मुक्त किया ही जा सकता है।